

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

एफ 89(22) उ.मा.वि./उ.स./2021-III

जयपुर, दिनांक: 09-03-2022

अधिसूचना


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा-28 उप धारा (2) खण्ड (ख) के अनुसरण में और उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा चयन समिति की अभिशंषा के आधार पर **जय श्री शर्मा पत्नि गौरव उपमन्यु** को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला आयोग) **अजमेर** का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करती है।

उक्त नियुक्ति निम्न शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगी: -

1. उक्त नियुक्ति कार्यभार संभालने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये है।
 2. उक्त नियुक्त व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले,-
 - (1) अपनी संपत्ति और अपनी देनदारियों और वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा करेगा;
 - (2) उसकी मेडिकल फिटनेस के सम्बन्ध में निर्धारित संलग्न प्रपत्र में जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मूल शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा;
 - (3) शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे, जिनमें अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो;
 - (4) यदि अभिभाषक वर्ग से है तो कार्यभार संभालने की तिथि से पूर्व एवं नियुक्ति अवधि के दौरान तक की अवधि के लिये अपनी सनद/रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र का निलंबन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;
 - (5) यदि किसी शासकीय आयोग/न्यायाधिकरण में किसी पद पर नियुक्त होकर कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी से जारी मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;
 - (6) उसकी जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र की प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कराएगा; और
 - (7) निर्धारित प्रपत्र में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और सदस्यता लेगा।
- उक्त शर्त की पालना नहीं करने वाले व्यक्ति को पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. उक्त नियुक्त व्यक्ति को मानदेय/वेतन और भत्ते, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ते तथा चिकित्सा उपचार हेतु अवकाश और अस्पताल की सुविधा इत्यादि Rajasthan Consumer Protection (Salary, Allowances and Conditions of Service of the President and Members of the State Commission and District Commission) Rules, 2021 के प्रावधानों के अनुसरण में देय होंगे;
 4. उक्त नियुक्त व्यक्ति,-
 - (1) राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों के लिए निर्धारित प्रत्येक कार्य दिवस के दौरान कार्यकारी समय में उसके पदस्थापन कार्यालय में उपस्थित रहेगा;
 - (2) बिना अवकाश स्वीकृत कराए अथवा बिना सूचना स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं रहेगा।
 5. उक्त नियुक्त व्यक्तियों में से अभिभाषक वर्ग का व्यक्ति उसकी नियुक्ति के कार्यकरण या नियुक्ति अवधि के दौरान तथा पद से हटने के बाद, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग के समक्ष वह अभिभाषक की हैसियत से कार्य (प्रेक्टिस) नहीं करेगा।
 6. उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, उसकी नियुक्ति के कार्यकरण या नियुक्ति अवधि के दौरान और उसके पदस्थापन की क्षमताओं में कार्य करते हुए , -
 - (1) कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेगा;
 - (2) यदि पूर्व से ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित है, तो वह इस प्रकार के पद अथवा नियुक्ति पर कार्य नहीं करेगा;
 - (3) कोई मध्यस्थता कार्य नहीं करेगा;
 - (4) किसी भी व्यावसायिक सेवा प्रदाता यथा अकाउंटेंट/ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, अभिभाषक और शिक्षक इत्यादि के रूप में पेशेवर सेवा का कार्य नहीं करेगा;

- (5) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सेवा के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगा;
- (6) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और इनके अधीन जारी नियमों के अन्तर्गत, अध्यक्ष, संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर, तथा राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।
उक्त शर्त की अवहेलना किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को उसके धारित पद से हटाया जा सकेगा।
7. उक्त नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं इनके अधीन बनाये गए नियमों के प्रावधानों से विनियमित होगी। उक्त नियुक्त व्यक्तियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
8. उक्त नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति की इस अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर इस कार्यालय को और रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर को तत्काल अवगत कराना होगा, अन्यथा ऐसा करने में विफल रहने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति का यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से


(नमीन जैन)

शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर / जोधपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
8. महालेखाकार परीक्षक, (महालेखाकार), राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
11. निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
12. पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
13. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, समस्त।
14. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर।
15. वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
16. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
17. समस्त जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
18. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग/उपभोक्ता मामले विभाग को राजस्थान के गजट में आज ही प्रकाशित करवाने के लिए।
19. संबंधित ज.म.वि. 2/21.....।
20. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
उपभोक्ता मामले